

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.म. / 2019

जयपुर, दिनांक 12/07/2021

—::आदेश::—

राज्य के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित निजो महाविद्यालयों की स्थापना एवं अन्य मापदण्ड निर्धारण हेतु द्विमांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का एतदद्वारा गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री बुलाकी दास कल्ला, | संयोजक |
| मंत्री, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल, कला साहित्य,
संस्कृति और पुरातत्व विभाग | |
| 2. श्री लालचंद कटारिया, | सदस्य |
| मंत्री, कृषि, पशुपालन तथा मतस्य विभाग | |
| 3. श्री रघु शर्मा, | सदस्य |
| मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई.एस.आई.) तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग। | |
| 4. श्री भंवर सिंह भाटी, | सदस्य |
| मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व, उपनिवेशन तथा कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग | |
| 5. श्री टीकाराम जूली, | सदस्य |
| मंत्री, श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार) कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग | |


उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गायत्री सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव